संचिका संख्याः–म०बंदो०–07/22.........1232.........

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग(मत्स्य)

मत्स्य/दिनांक 28/06/2022

अधिसूचना

(1). मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती–

राज्य में कुल 121 मत्स्य बीज प्रक्षेत्र हैं। इनमें से 49 मत्स्यबीज प्रक्षेत्र तीन एकड़ से अधिक तथा 72 मत्स्यबीज प्रक्षेत्र तीन एकड़ से कम जलक्षेत्र के हैं। वर्तमान में लोक जनसहभागिता के आधार पर 06 मत्स्य बीज प्रक्षेत्र बंदोबस्त है।
3.00 एकड़ से कम जलक्षेत्र के मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों पर गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज यथा फिंगरलिंग, इयरलिंग तथा जीरोसाईज बीज का उत्पादन एवं 3.00 एकड़ से अधिक जलक्षेत्र के मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों पर वार्षिक 8–10 मिलियन फ्राई उत्पादन अथवा 40 मिलियन स्पॉन उत्पादन क्षमता के हैचरी का अधिष्ठापन किया जायेगा ताकि मत्स्य कृषकों को सालों भर उन्नत मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज का संचयन तालाबों/जलकरों में होने से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि होगी। विभागीय प्रबंधन (ब्रूड बैंक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, मत्स्यबीज उत्पादन, प्रजाति विविधता आदि कार्य) में रखे गये मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती लोक जन सहभागिता के आधार पर की जायेगी।

1.दीर्घकालीन बन्दोबस्ती–

जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अपने जिले में स्थित मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों में से दीर्घकालीन बन्दोबस्ती योग्य मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों को सूचीबद्ध करते हुए दीर्घकालीन बन्दोबस्ती का विज्ञापन प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में राज्यस्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा। विज्ञापन ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे। विज्ञापन में मत्स्यबीज प्रक्षेत्र का नाम, रकवा, वार्षिक सुरक्षित जमा राशि आदि प्रकाशित किया जायेगा। विज्ञापन द्वारा ''अभिरूचि की अभिव्यक्ति'' प्राप्त की जायेगी जिसकी विवरणी प्रपत्र–1 संलग्न है। आवेदन का प्रारूप प्रपत्र–2 एवं ऑफर मनी का प्रारूप प्रपत्र–3 संलग्न है।

2. मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों का सुरक्षित जमा का निर्धारण :–

(क) मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों का सुरक्षित जमा का निर्धारण जिला स्तर पर गठित सुरक्षित जमा निर्धारित समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(1) उप मत्स्य निदेशक (परिक्षेत्र)– अध्यक्ष
(2) सरकार द्वारा मनोनित मत्स्यजीवी सहयोग समिति के प्रतिनिधि– सदस्य
(3) सरकार द्वारा मनोनित मत्स्यपालक के प्रतिनिधि – सदस्य
(4) जिला मत्स्य पदाधिकारी– सदस्य सचिव

(ख) सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा प्रक्षेत्र के वार्षिक उत्पादन क्षमता तथा उत्पाद के बाजार बिक्री मुल्य के आधार पर सुरक्षित जमा का निर्धारण किया जाएगा।

(ग) प्रक्षेत्र का वार्षिक सुरक्षित जमा राशि उसके वार्षिक उत्पादन मुल्य के पच्चीस प्रतिशत से कम या तीस़ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

तीन सदस्यों से कोरम पूरा माना जाएगा।
किसी सदस्य के त्याग– पत्र अथवा लगातार अनुपस्थित रहे तो सरकार से मनोनयन प्रत्याशा में जिला पदाधिकारी से मनोनयन किया जा सकेगा।सरकार से आदेश निर्गत होने पर जिला पदाधिकारी के अनुशंसित सदस्य की वैधता समाप्त हो जाएगी।

3. <u>मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों की बन्दोबस्ती–</u>

सभी मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों की बन्दोबस्ती अधिसूचना में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा औपबंधिक रूप से की जायेगी। तकनीकी रूप से सुयोग्य आवेदकों में से अधिकतम ऑफर मनी का प्रस्ताव समर्पित करने वाले के साथ सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन उपरांत बन्दोबस्ती की जायेगी। बन्दोबस्ती अवधि प्रत्येक वर्ष 1, अप्रैल से प्रभावी होगी।

4. <u>मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों के बन्दोबस्ती की स्वीकृति –</u>

सभी मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों के बन्दोबस्ती की स्वीकृति संबंधित जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र के माध्यम से प्रस्ताव गठित कर निदेशक मत्स्य, बिहार को उपस्थापित की जायेगी। निदेशक मत्स्य द्वारा सरकार के अनुमोदन से बन्दोबस्ती की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

5. <u>मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों के बन्दोबस्ती को रद्द करना –</u>

पट्टेदार द्वारा मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों की बन्दोबस्ती के शर्तों का उल्लंघन अथवा मत्स्यबीज प्रक्षेत्र के लिए निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के उल्लंघन करने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर निदेशक मत्स्य के द्वारा बन्दोबस्ती को रद्द किया जायेगा। बन्दोबस्ती राशि ससमय नहीं जमा करने पर उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र के आदेश से बन्दोबस्ती रद्द की जा सकेगी। बकाया राशि की नोटिस देकर राजस्व की वसूली हेतु निलामवाद दायर किया जायेगा।

राज्य सरकार के आदेश द्वारा विभागीय योजना के संचालन अथवा सरकारी कार्य हेतु मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों की आवश्यकता होने पर, पैंतालीस दिन की पूर्व सूचना देकर की गयी बन्दोबस्ती सरकार के अनुमोदन से रद्द कर नई बंदोबस्ती प्रावधानुसार की जायेगी अथवा विभागीय प्रबंधन में निर्णय अनुसार रखा जायेगा।

6. <u>बन्दोबस्ती अवधि –</u>

तीन एकड़ से अधिक तथा तीन एकड़ से कम जलक्षेत्र के पी0पी0पी0 मोड पर बन्दोबस्ती 10 वर्षो के लिए की जाएगी। तीन एकड़ तक के मत्स्यबीज प्रक्षेत्र पर मत्स्यबीज का उत्पादन तथा तीन एकड़ से अधिक रकवा वाले मत्स्यबीज प्रक्षेत्र पर मत्स्यबीज हैचरी का निर्माण कर अथवा पूर्व से निर्मित मत्स्यबीज हैचरी का जीर्णोद्धार कर मछली की ब्रीडिंग करायी जायेगी। मत्स्यबीज हैचरी के निर्माण अथवा जीर्णोद्धार में हुए व्यय का भार वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा। मत्स्यबीज हैचरी का निर्माण चयनित पट्टेदार द्वारा एकरारनामा के शर्तों के अनुरूप निर्धारित अवधि के अन्दर अपने खर्च से किया जायेगा।
बन्दोबस्ती करने के संबंध मे जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा अनुशंसा की जायेगी और बन्दोबस्ती की स्वीकृति उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र एवं निदेशक मत्स्य के माध्यम से सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर परवाना निर्गत किया जायेगा।

राज्य स्तर पर लोक जनसहभागिता के आधार पर बन्दोवस्त किए गये मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों की समीक्षा, एवं मुल्यांकन निम्नलिखित समिति द्वारा की जाएगी:–

1. निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना– अध्यक्ष

संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु०)– सदस्य
3. संयुक्त मत्स्य निदेशक (रा0प0ई0)– सदस्य
4. संयुक्त मत्स्य निदेशक (प्र० एवं प्र०)– सदस्य
5. संयुक्त मत्स्य निदेशक (अनुसंधान)– सदस्य
6. उप मत्स्य निदेशक (मु०)– सदस्य सचिव
7. उप मत्स्य निदेशक (रा0प0ई0)– सदस्य
8. कनीय अभियन्ता/सहायक अभियंता (मु०)– सदस्य

7. **मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों की दीर्घकालीन बन्दोबस्ती की शर्ते –**

(i) मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों जिनको लोक जनसहभागिता के आधार पर संचालन हेतु देना है उसकी सूची संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं मत्स्य निदेशालय में उपलब्ध रहेगी। साथ–ही–साथ सभी मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की सूची विभाग के वेबसाईट पर विज्ञापन हेतु प्रदर्शित किया जायेगा।

(ii) तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफा आवेदक द्वारा अलग–अलग समर्पित किया जाएगा। दोनों लिफाफा एक साथ रहने पर ऑफर पर विचार नहीं किया जाएगा। सुरक्षित जमा प्रतिभूति राशि के रूप में संलग्न करना होगा। असफल रहने पर प्रतिभूति राशि वापस कर दी जायेगी।

(iii) तकनीकी रूप से ऑफरदाता के योग्य पाए जाने के बाद ही उनके आर्थिक ऑफर पर विचार किया जाएगा। उच्चतम ऑफरदाता को बन्दोबस्ती हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

(iv) वार्षिक निर्धारित सुरक्षित जमा से कम ऑफर राशि पर बन्दोबस्ती हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

(v) इन मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों के जिर्णोद्धार एवं मत्स्य बीज उत्पादन की शुरूआत करने हेतु ऑफरदाता की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए एवं इसका प्रमाण–पत्र ऑफर के रूप में बचत खाता की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

(vi) पट्टेदार को प्रक्षेत्र का जिर्णोद्धार स्वयं के लागत अथवा बैंक ऋण से करना होगा एवं प्रक्षेत्र की रूपरेखा में बिना अनुमति के परिवर्तन करना प्रतिषेध रहेगा। मत्स्य प्रक्षेत्र पर अतिक्रमण न हो इसकी सारी जबाबदेही बन्दोवस्तदार की होगी।

(vii) पट्टेदार को प्रक्षेत्र की बन्दोवस्ती राशि, बन्दोवस्ती वर्ष के 30 जून तक जिला मत्स्य कार्यालय में जमा करना अनिर्वाय होगा एवं प्रक्षेत्र पर उपयोग किए गए बिजली बिल का भी भुगतान प्रत्येक माह करना होगा।

(viii) पट्टेदार को ICAR के द्वारा सभी प्रतिबंधित मछलियों के पालन एवं बिक्री पर रोक रहेगी। निम्न मछलियाँ यथा–थाई मांगुर, बिगहैड, रूपचन्दा इत्यादि का प्रजनन, पालन एवं बिक्री करना निषेध रहेगा।

(ix) तीन एकड़ से छोटे मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों के पट्टेदारों द्वारा मत्स्यबीज का उत्पादन–
(क) प्रक्षेत्र से 12.50 लाख फ्राई/हे० अथवा 6.25 लाख फिंगरलिंग/ हे० अथवा 1.625 लाख इयरलिंग अथवा जीरो साईज मत्स्यबीज का उत्पादन करना होगा। जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा इस आशय का आदेश करेंगें।
(ख) प्रक्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्पॉन का संचयन रजिस्टर्ड मत्स्य बीज हैचरी अथवा जिला मत्स्य पदाधिकारी चयनित गुणवत्तापूर्ण मत्स्यबीज हैचरी से ही क्रय कर संचय करना होगा।

(x) तीन एकड़ से बड़े मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों के पट्टेदारों पर निम्नलिखित तकनीकी भी लागु होंगी :-

(क) मत्स्य विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ हैचरी संचालन की योग्यता वाले ऑफरदाता को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) पट्टेदार को बन्दोवस्ती के उपरान्त एक साल के अन्दर 8–10 मिलियन फ्राई अथवा 40 मिलियन स्पॉन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का मत्स्य हैचरी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मॉडल एवं विभागीय अभियन्ता के मार्गदर्शन में तकनीकी पहलुओं, सुगमता एवं परिक्षेत्र के भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर निर्माण करना होगा।

(ग) ब्रीडींग हेतु उपयोग में लाए जाने वाले ब्रुडर्स न्यूनतम 1.5–2.0 Kg प्रति पीस उपयोग कराना होगा। ब्रुडर्स की व्यवस्था प्राकृतिक श्रोतों से जैसे–नदी, मन, चौर इत्यादि से हो सके तो उत्तम होगा ऐसे ब्रुडर्स प्रतिस्थापन की उपलब्धता पट्टेदार स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

(घ) मछलियों के प्रजनन हेतु प्रत्येक वर्ष 30% ब्रुडर्स को प्राकृतिक श्रोत से लाकर प्रतिस्थापन एवं तीन वर्ष के अन्त में शत प्रतिशत ब्रुडर्स के साथ हैचरी का संचालन करना होगा।

(ड़) पट्टेदार के साथ मत्स्य बीज प्रक्षेत्र की बन्दोबस्ती दस वर्षो के लिए की जाएगी। प्रथमवर्ष पट्टेदार को हैचरी निर्माण हेतु राजस्व राशि की छुट रहेगी एवं इसके बाद नौ वर्षो की बन्दोबस्ती अवधि की राजस्व गणना की जाएगी।

(च) पट्टेदार को एतद् विषयक एकरारनामा जिला मत्स्य पदाधिकारी के साथ करना होगा एवं इसके एकरारनामा एवं निबंधन पर होने वाले व्यय का भार ऑफरदाता को वहन करना होगा

(xi) बन्दोबस्तदार द्वारा किसी कारण बन्दोबस्ती अवधि के बीच में बन्दोबस्ती छोड़े जाने के अनुरोध पर उस वित्तीय वर्ष का निर्धारित राशि जमा कराने के उपरांत बन्दोबस्ती रद्द किया जा सकेगा।

(2). लोक जनसहभागिता के आधार पर बंदोबस्त मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों के प्रबंधन हेतु मानक हैचरी संचालन प्रक्रिया(SOP)

राज्य में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अधीन कुल 121 मत्स्य बीज प्रक्षेत्र है। सभी मत्स्य बीज प्रक्षेत्र पूर्व में विभागीय प्रबंधन में रखकर मत्स्य बीज तैयार किये जाते थे। इन प्रक्षेत्र में नर्सरी, रियरिंग एवं संचयन तालाब निर्मित है। जिसका वार्षिक अनुरक्षण विभागीय योजनाओं के तहत किया जाता था। इन प्रक्षेत्रों पर प्रभारी मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के साथ–साथ दो या तीन विभागीय मछुआ पदस्थापित रहते थे। जलक्षेत्र के आधार पर प्रत्येक मत्स्य प्रक्षेत्रों का वार्षिक मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित होता था। इन प्रक्षेत्रों में लक्ष्यानुसार गंगा एवं राज्य के अन्य बहती नदियों से स्पॉन का संग्रहण मत्स्य बीज रियरिंग किया जाता था तथा विभागीय एवं निजी तालाबों में संचयन हेतु अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था का मूल उद्देशय मत्स्य कृषकों को उत्तम गुणवत्ता के मत्स्य बीज उपलब्ध कराना था। बाद के वर्षो में कर्मचारियों की कमी, गंगा नदी में प्रदूषण के कारण स्पॉन उपलब्धता की कमी एवं अन्य कतिपय कारणों से प्रक्षेत्रों पर हैचरी अधिष्ठापन तथा तीन एकड़ से कम जलक्षेत्र वाले मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों को मत्स्य बीज फार्म के रूप में विकसित करने का निर्णय हुआ, ताकि पट्टेदार अपने निधि अथवा बैंक लोन से हैचरी का निर्माण एवं प्रक्षेत्र का अनुरक्षण करते हुए 8 से 10 मिलियन मत्स्य बीज फ्राई अथवा 40 मीलियन स्पॉन का उत्पादन कर स्थानीय मत्स्य कृषकों को उपलब्ध करायें।

उद्देश्यः–

(क) मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों पर हैचरी निर्माण करना जिसकी क्षमता 8 से 10 मिलियन मत्स्यबीज फ्राई अथवा 40 मिलियन स्पॉन गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उत्पादन का।

(ख) मत्स्य कृषकों को प्रेरित प्रजनन के द्वारा उन्नत नस्ल के मत्स्य बीज की सालों भर उपलब्धता।

(ग) तालाबों/जलकरों में गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज के संचयन से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।

उपर्युक्त उद्देश्य को दृष्टिपथ में लाते हुए निदेशालय स्तर से चयनित मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों का विज्ञापन प्रचारित कर आवेदन आमंत्रित किये गये। निदेशक मत्स्य के अध्यक्षता में अधिसूचना 743 दिनांक 22.04.2010 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जो निम्न प्रकार है:–

1. निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना– अध्यक्ष
2. संयुक्त मत्स्य निदेशक (रा०प०ई०) –सदस्य
3. उप मत्स्य निदेशक, (मु०)– सदस्य
4. सहायक मत्स्य निदेशक, (योजना)– सदस्य
5. वरीय प्रमंडलीय प्रबंधक– सदस्य
6. सहायक निदेशक अनुसंधान– सदस्य
7. कनीय अभियंता– सदस्य

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार विमर्श उपरांत सरकार का अनुमोदन लेकर दीर्घकालीन बंदोबस्ती की गयी। लेकिन कालांतर में बंदोबस्त प्रक्षेत्रों के विकासोन्मुख अवयवों के समीक्षा से यह दृष्टिगोचर हुआ कि पट्टेदार एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा उद्देश्य के प्रति अभिरूचि का अभाव है। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी स्तरों पर दायित्व सुनिश्चित किया जाय ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

हैचरी संचालन के मुख्य मानक:

- हैचरी से 8–10 मिलियन फ्राई का उत्पादन किया जायेगा।
- 8 से 10 मिलियन फ्राई का उत्पादन के लिए लगभग 40 मिलियन स्पॉन का उत्पादन करना।
- नर्सरी तालाब से एक वर्ष में लगभग 6 चक्र में फ्राई का उत्पादन किया जायेगा।
- प्रजनन चक्र में 15 से 20 चक्र हैचरी का ऑपरेशन किया जायेगा।
- लगभग 1500 कि०ग्रा० (750 कि०ग्रा० नर तथा 750 कि०ग्रा० मादा) ब्रूडर की आवश्यकता होगी।

(क) प्रजनक तालाब प्रबंधन

1. प्रति माह उर्वरक का प्रयोग करना है। रासायनिक एवं जैविक उर्वरक के प्रयोग का अन्तराल 15 दिन का होगा। उर्वरक के प्रयोग से 2 दिन पूर्व 10–50 कि०ग्रा०/हेक्टेयर की दर से चूने को तालाब में घोल कर छिड़काव किया जायेगा।

(i) प्रत्येक माह के प्रथम तारीख को मवेशी का गोबर– 1000 कि०ग्रा०/हेक्टेयर की दर से घोल कर छिड़काव किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक माह के पन्द्रह तारीख को रासायनिक खाद के रूप में सिंगल सुपर फॉस्फेट या डी०ए०पी० का प्रयोग 25 कि०ग्रा०/हेक्टेयर की दर से घोल कर छिड़काव किया जायेगा।

2. पानी में प्लैंकटन (प्लवक) की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रति माह प्लैंकटन बढ़ाने वाली दवा (प्रोबायोटिक्स) का प्रयोग 2.5 कि०ग्रा० प्रति हेक्टेयर की दर से किया जायेगा।

(ख) आहार प्रबंधन

मत्स्य आहार– आहार दर : प्रजनक के वजन का 2% (एफ०सी०आर० 2:1)

- प्रजनक मछलियों के जल्द तैयारी के लिए खनिज मिश्रण 2 ग्राम प्रति किलोग्राम मत्स्य आहार में मिला कर मछलियों को दिया जायेगा। खनिज तत्व सही रूप से आहार में मिले इसके लिए एम०एफ०ए० (बाइण्डर) का प्रयोग 30 मी०ली० प्रति कि०ग्रा० आहार की दर से किया जायेगा।
- मछलियों के जल्द तैयारी के लिए प्रोबायोटिक्स का प्रयोग 1 से 2 ग्राम प्रति कि०ग्रा० आहार के साथ मिला कर मछलियों को खिलाने में किया जायेगा। प्रोबायोटिक्स सही रूप से आहार में मिले इसके लिए बाइण्डर का प्रयोग 30 मी०ली० प्रति कि०ग्रा० आहार में किया जायेगा।

3. पट्टेदार के दायित्वः–

पट्टेदार को बंदोबस्ती के उपरांत एक साल के अंदर 8–10 मिलियन फ्राई अथवा 40 मिलियन स्पॉन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता का मत्स्य हैचरी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मॉडल एवं विभागीय अभियंता के मार्गदर्शन में तकनीकी पहलुओं, सुगमता एवं परिक्षेत्र के भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर निर्माण करना होगा। मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में उपलब्ध जलक्षेत्र के आधार पर फ्राई का उत्पादन क्षमता निर्धारित होगा।

i. ब्रीडिंग हेतु उपयोग में लाए जाने वाले ब्रुडर्स कम से कम 1.5–2.0 कि०ग्रा०/ईकाई पीस से अधिक का होना चाहिए।

ii. ब्रूडर्स की व्यवस्था प्राकृतिक श्रोतों से जैसे– नदी, मन, चौर इत्यादि से हो सके तो उत्तम होगा ऐसे ब्रूडर्स की उपलब्धता को पट्टेदार सुनिश्चित करेंगे।

iii मछलियों के प्रजनन हेतु प्रत्येक वर्ष 30% ब्रुडर्स को प्राकृतिक श्रेत से लाकर बदलना एवं तीन वर्ष के अन्त में शत प्रतिशत ब्रुडर्स बदलना अनिर्वाय होगा अर्थात चौथे वर्ष के प्रारम्भ में 100% नए ब्रुडर्स के साथ हैचरी चलाना होगा।

iv. अपने हैचरी से बेचे गये बच्चा से विकसित ब्रुडर्स का उपयोग नहीं करना होगा ताकि आंतरिक प्रजनन की स्थिति न बने तथा उस क्षेत्र के किसानों को उत्तम गुणवता का मत्स्य बीज सुगमता से उपलब्ध हो सके।

v. पट्टेदार को एक पंजी संधारित करना होगा जिसमें प्रजातिवार ब्रुडर्स बदलने के संबंध में प्रमाण के साथ सूचना अंकित हो, साथ ही हैचरी द्वारा बीज उत्पादन एवं उत्पादित मत्स्य बीज किन–किन किसानों को बेचा गया है, उसकी स्पष्ट सूचना अंकित करना

अनिवार्य होगा जिसका निरीक्षण संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा समय–समय पर किया जाएगा।

vi. पट्टेदार को प्रक्षेत्र का जीर्णोद्धार स्वयं के लागत से करना होगा एवं प्रक्षेत्र की रूप–रेखा में बिना अनुमति के परिवर्तन करना प्रतिषेध रहेगा। मत्स्य प्रक्षेत्र पर अतिक्रमण न हो, इसकी सारी जबावदेही बंदोबस्तदार की होगी।

vii. पट्टेदार को प्रतिबंधित मछलियों यथा–थाई मांगूर, बिगहैड, रूपचन्दा इत्यादि का प्रजनन, पालन एवं बिक्री करना निषेध होगा।

viii. पट्टेदार को प्रक्षेत्र की बंदोबस्ती राशि बंदोबस्ती वर्ष प्रारम्भ होने के पूर्व कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा एवं प्रक्षेत्र पर उपयोग किए गए बिजली बिल का भुगतान प्रत्येक माह करना होगा। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता होने पर कारण पृच्छा कर बंदोबस्ती रद्द करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

ix. पट्टेदार को बंदोबस्त किए गए प्रक्षेत्र को किसी भी स्थिति में किसी दुसरे के साथ किराए पर देना निषेध होगा।

x. पट्टेदार को किसान स्कूल के तर्ज पर बंदोबस्त प्रक्षेत्र पर स्थानीय 25 किसानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी ताकि उस क्षेत्र के किसान मत्स्य पालन के कार्य सीख सके जिससे उनके समाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

xi. पट्टेदार के द्वारा मत्स्य बीज बिक्री, हैचरी संचालन एवं ब्रुड स्टॉक का वार्षिक ब्यौरा आदि जिला मत्स्य पदाधिकारी को देना अनिवार्य होगा। सभी पंजी/अभिलेख जिला मत्स्य पदाधिकारी से अभिप्रमाणित होगा।
(क) स्पॉन/फ्राई बिक्री पंजी हेतु निर्धारित प्रपत्र–4 संलग्न है।
(ख) हैचरी संचालन हेतु निर्धारित प्रपत्र–5 संलग्न है।
(ग) प्रजनक से संबंधित विवरण का निर्धारित प्रपत्र–6 संलग्न है।
(घ) आगंतुकों से संबंधित पंजी का प्रपत्र–7 संलग्न है।
(ड.) मानक संचालन प्रकिया के अनुरूप उपयोग की गई सामग्रीयों की पंजी का संधारण का प्रपत्र–8 संलग्न है।
(ञ) जिला मत्स्य पदाधिकारी/उप मत्स्य निदेशक द्वारा मत्स्यबीज प्रक्षेत्र के जाँच का प्रपत्र–9 संलग्न है। पट्टेदार के द्वारा प्रपत्र 4 से 8 तरह के प्रपत्रों का विधिवत संधारण अलग–अलग पंजियों में किया जायेगा।

4. जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के दायित्वः–

i. प्रत्येक पक्ष में मत्स्य बीज प्रक्षेत्र का निरक्षण करेंगे ताकि प्रक्षेत्र का जिस उद्देश्य से बंदोबस्ती की गई है उसका अनुपालन सुनिश्चित हो सके। पायी गयी कमियों को चिन्हित कर सुधार हेतु पट्टेदार को नोटिस करेंगे।

ii. मत्स्य बीज प्रक्षेत्र का अतिक्रमण, रख रखाव एवं सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे।

iii. ब्रीडिंग के समय सुनिश्चित करेंगे कि गुणवत्तापूर्ण ब्रुड का चयन करके ब्रिडिंग कराया जा रहा है। साथ ही प्रत्येग वर्ष पट्टेदार द्वारा 30% ब्रुडर्स को बदलने की व्यवस्था को सुनिश्चित कराऐंगे।

iv. पट्टेदार द्वारा संधारित पंजी का निरीक्षण, हैचरी द्वारा बीज उत्पादन एवं उत्पादित मत्स्य बीज किन–किन किसानों को बेचा गया है उसकी जाँच करेंगे।

v. प्रत्येक तीन माह पर पट्टेदार द्वारा किए जा रहे कार्य का आँकलन कर अपने मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र के माध्यम से निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना को भेजेंगे।

vi. क्षेत्रीय प्रभारी को प्रक्षेत्र का प्रभारी नामित करेंगे। प्रभारी का दायित्व होगा कि प्रक्षेत्र के हर क्रिया कलाप की जानकारी प्रतिवेदन के माध्यम से जिला मत्स्य पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

5. **उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र के दायित्वः–**

उप मत्स्य निदेशक कम से कम एक बार प्रत्येक तिमाही में बंदोबस्ती प्रक्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे एवं पट्टेदार द्वारा एकरारनामा के शर्तो का अनुपालन सूनिश्चित करायेंगे। अन्यथा पट्टेदार से कारण पृच्छा कर अपने मंतव्य के साथ निदेशालय एवं विभाग को अवगत करायेंगे।

6. **निदेशालय के स्तर पर–**

जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र द्वारा मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों के कार्यो का आँकलन कर भेजे गए प्रतिवेदनों की निदेशालय स्तर पर उप मत्स्य निदेशक (मु०) के द्वारा समीक्षा की जाएगी। साथ ही वैसे पट्टेदार जो एकरारनामा की शर्तो के अनुरूप कार्य नहीं कर रहें हैं, उनसे संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं पट्टेदार से कारण पृच्छा कर अधिसूचना 747, दिनांक 22.04.2010 द्वारा गठित समिति की अनुशंसा प्राप्त की जायेगी। समिति की अनुशंसा के अनुसार सरकार का समुचित आदेश प्राप्त किया जायेगा। उप मत्स्य निदेशक (मु०) मानक संचालन प्रक्रिया के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

बंदोबस्त मत्स्य बीज प्रक्षेत्र पर संचालित होने वाले कार्यो का वार्षिक कैलेंडर

जनवरी

- तालाब में पानी की स्तर की जाँच तथा कम पाए जाने पर नया पानी अथवा मछलियों की निकासी।
- जाल चलाकर मछलियों में बीमारी की जाँच तथा बीमार पाये जाने पर दवा इत्यादि का प्रयोग।
- तालाब में कॉमन कार्प मछलियों के प्रजनकों को नियमित भोजन।
- मत्स्य उत्पादन संबंधित नई संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ करना।
- बादल वाले रातों में मछलियों का ऑक्सीजन की कमी से संभावित मृत्यु रोकने के लिए तालाब में जाल चलाना/चूना डालना।

फरवरी

- कॉमन कार्प के प्रजनन हेतु हापा, जलकुम्भी, हार्मोन की सुई, काकाबान इत्यादि की व्यवस्था करना।

प्रजनको की जाँच करते रहना तथा प्रतिदिन सुबह तालाब में उनके गतिविधि का ध्यान रखना।

- ❖ सदाबहार तालाब में मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन करना।
- ❖ कॉमन कार्प के स्पॉन के लिए नर्सरी की व्यवस्था करना।
- ❖ मौसमी तालाबों से मछलियों की निकासी/शिकारमाही और यदि सम्भव हो तो निकाली गई मछलियों को सदाबहार तालाब में संचयन।

मार्च

- ❖ कॉमन कार्प मछली का प्रजनन तथा स्पॉन की बिक्री एवं संचयन।
- ❖ कॉमन कार्प मछली के बीज की बिक्री/सदाबहार तालाबों में संचयन।
- ❖ तालाब के जलस्तर की जाँच तथा कम होने पर नया पानी भरना।
- ❖ रोहू, कतला इत्यादि मछलियों के प्रजनकों के रख–रखाव पर विशेष ध्यान देना।
- ❖ मछलियों की संख्या ज्यादा होने पर बड़ी मछलियों की बिक्री करना।
- ❖ भारतीय मेजर कार्प प्रजनको की उचित देखभाल।

अप्रैल

- ❖ तालाब के जलस्तर की जाँच।
- ❖ बाँध, इनलेट, आउटलेट इत्यादि की जाँच तथा मरम्मति कराना।
- ❖ प्रजनन हेतु प्रजनकों को भरपूर पूरक आहार उपलब्ध कराना।
- ❖ तालाब में पानी कम होने पर मछलियों की निकासी।
- ❖ मत्स्य बीज उत्पादन हेतु नर्सरी तालाबों का चुनाव तथा उनकी सफाई।
- ❖ मछलियों को नियमित भोजन।
- ❖ सदाबहार तालाबों में कॉमन कार्प के बीज का संचयन/अंगुलिकाओं का उत्पादन।

मई

- ❖ नर्सरी तालाबों की तैयारी, पानी सुखाने का कार्य, जोताई आदि।
- ❖ तालाब के जलस्तर की जाँच तथा पानी कम होने पर नया पानी भरना अथवा मछलियों की निकासी।
- ❖ पानी बहुत कम होने पर भोजन एवं खाद के प्रयोग पर रोक।
- ❖ ऑक्सीजन इत्यादि की जाँच।
- ❖ प्रजनन का प्रयास।
- ❖ बीज वितरण हेतु आवश्यक सामग्रियों की तैयारी।
- ❖ सदाबहार नर्सरी तालाबों में महुआ की खल्ली का प्रयोग कर उसकी सफाई।

जून

- ❖ नदी अथवा हैचरियों से स्पॉन प्राप्त कर नर्सरी तालाबों में संचयन।
- ❖ मत्स्य बीज का उत्पादन एवं बीज वितरण।

- संचयन से पूर्व तालाब की तैयारी जैसे जलीय घासों की निकासी, कीड़ों तथा जंग मछलियों का उन्मूलन, चूना तथा खाद इत्यादि का प्रयोग।
- इनलेट, आउटलेट पर जाल लगाकर पानी के आवागमन पर नियंत्रण।
- हैचरी की मरम्मति तथा आवश्यक तैयारी।
- मत्स्य प्रजनकों का उचित देखभाल।
- माह के अन्त में भारतीय/विदेशी कार्प प्रजनन प्रारम्भ।
- संचयन तालाबों में उन्नत किस्म के मत्स्य बीज का संचयन।
- हैचरी/हापा ब्रिडिंग के प्रबंधन एवं संचालन के लिए विशेषज्ञों से समय–समय पर सलाह लें।
- मत्स्य पालक जीरा संचय से पूर्व तालाब की तैयारी जून के प्रथम सप्ताह में पूरा कर लें। तालाब की तैयारी इस प्रकार करें सुखाना, जोतना चूना 150 किलोग्राम/हेक्टेयर गोबर– 5000 किलोग्राम/हेक्टेयर, S.S.Sp-250 किलोग्राम/हेक्टेयर यूरिया, 125 किलोग्राम/हेक्टेयर। इस के बाद 1 फीट पानी भर कर एक सप्ताह छोड़ दें, इसके बाद 4 फीट पानी भर एक सप्ताह छोड़ दें। इस के बाद तब मत्स्य बीज संचय करें।
- मत्स्य बीज संचय का कार्य जून के अंतिम सप्ताह में करें।
- मत्स्य बीज संचय के एक दिन बाद से पूरक आहार–बीज के कुल वजन का 5 प्रतिशत की दर से दें।
- मत्स्य बीज परिवहन का कार्य हमेशा रात में या 10 बजे पूर्वाहन से पहले करें।

जुलाई

- हैचरी से स्पॉन प्राप्त कर नर्सरी तालाबों में संचयन।
- मत्स्य बीज का उत्पादन एवं बीज वितरण।
- संचयन से पूर्व तालाब की तैयारी जैसे जलीय घासों की निकासी, कीड़ो तथा जंगली मछलियों का उन्मूलन, चूना तथा खाद इत्यादि का प्रयोग।
- इनलेट, आउटलेट पर जाल लगाकर पानी के आवागमन पर नियंत्रण।
- हैचरी की मरम्मति तथा आवश्यक तैयारी।
- मत्स्य प्रजनकों का उचित देखभाल।
- माह के अन्त में भारतीय/विदेशी कार्प प्रजनन प्रारम्भ।
- संचयन तालाबों में उन्नत किस्म के मत्स्य बीज का संचयन।

अगस्त

- मत्स्य स्पॉन का नर्सरी में संचयन एवं मत्स्य बीज उत्पादन।
- अत्याधिक बारिश की स्थिति में बाँध का बचाव।
- बीज वितरण तथा संचयन कार्य।
- मत्स्य बीज के पूरक आहार में वृद्धि।
- रोहू, कतला, मृगल, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प के प्रजनन का प्रयास।
- कॉमन कार्प मछली के प्रजनन का प्रयास करना।

सितम्बर

- मछलियों को नियमित भोजन।
- बाँध की मजबूती का ध्यान।
- चूना इत्यादि का प्रयोग।
- संचयन तालाब में संचित मत्स्य बीज की जाँच तथा आवश्यक हो तो पुनः संचयन।
- कॉमन कार्प मछली के प्रजनन का प्रयास करना।

अक्टुबर

- तापक्रम गिरने के कारण मछलियों के भोजन में कमी।
- कॉमन कार्प मछली के नर तथा मादा प्रजनकों को अलग–अलग तालाबों में रखना।
- बीमारी की जाँच तथा रोकथाम के उपाय।
- ऑक्सीजन, प्लैंक्टॉन आदि को स्थिति पर ध्यान रखना।

नवम्बर

- तापक्रम गिरने के कारण मछलियों के भोजन में कमी।
- कॉमन कार्प मछली के नर तथा मादा प्रजनकों को अलग–अलग तालाबों में रखना।
- बीमारी की जाँच तथा रोकथाम के उपाय।
- ऑक्सीजन, प्लैंक्टॉन आदि की स्थिति पर ध्यान रखना।

दिसम्बर

- तालाब के पानी के स्तर की जाँच तथा कम पाए जाने नया पानी भरना अथवा मछलियों की निकासी।
- जाल चलाकर मछलियों में बीमारी की जाँच तथा बीमार पाये जाने पर दवा इत्यादि का प्रयोग।
- तालाब में कॉमन कार्प मछलियों के प्रजनकों को नियमित भोजन।
- तालाब में चुने का प्रयोग।

अनुः– यथोक्त(प्रपत्र 01 से 09)

बिहार राज्यपाल के आदेश से

उप सचिव,

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,

बिहार, पटना

ज्ञापांक : म०/बंदो०– 07/2022 1232 मत्स्य/पटना, दिनांक: 28/06/2022

प्रतिलिपिः 1. प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3. प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी/जिला पदाधिकारी, सभी/उप विकास आयुक्त, सभी/उप मत्स्य निदेशक, सभी/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5. सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना क आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

6. आई0 टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि इसे शीघ्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उप सचिव

प्रपत्र–1

पी०पी०पी० मोड पर मत्स्यबीज प्रक्षेत्रों की बन्दोबस्ती हेतु "अभिरूचि की अभिव्यक्ति" का विज्ञापन प्रारूप

मत्स्य प्रक्षेत्र अन्तर्गत निम्नांकित सरकारी मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों पर पूर्व निर्मित मत्स्य बीज हैचरी को लोक–जन–सहभागिता के तहत चलाने के लिए इच्छुक पक्ष से अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। हैचरियों का जिलावार विस्तृत विवरण निम्न है:–

क्र0	मत्स्य बीज प्रक्षेत्र का नाम	प्रक्षेत्र का रकबा (एकड़ में)	वार्षिक सुरक्षित जमा (रु में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

1. चयनित पक्ष को हैचरी **"As is Where is"** के रूप में बन्दोबस्त किया जाएगा। हैचरी का अनुरक्षण चयनित निजी पक्ष के द्वारा अपने संसाधनों से किया जाएगा।
2. इच्छुक पक्ष के द्वारा दो अलग–अलग ऑफर समर्पित करना होगा। एक ऑफर............ में उनकी तकनीकी योग्यता तथा दूसरे ऑफर में उनका वार्षिक वित्तीय ऑफर.......... होगा। आवेदक के द्वारा वार्षिक वित्तीय ऑफर राशि का बैंक ड्राफ्ट जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकरी के पदनाम से एवं निर्धारित अवधि के अन्दर निबंधित डाक से संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना होगा। निर्धारित अवधि में बैंक ड्राफ्ट प्राप्त नहीं होने पर उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. एक व्यक्ति द्वारा एक ही प्रक्षेत्र की बन्दोबस्ती हेतु आवेदन दिया जायेगा। यदि एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक प्रक्षेत्रों की बन्दोबस्ती हेतु आवेदन समर्पित किया गया तो उनके किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. चयनित निजी पक्ष को दस वर्षों के लिए हैचरी के निर्माण एवं हैचरी को चलाने के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी के साथ निबंधित एकरारनामा करना होगा।
5. चयनित पक्ष को इसे एक मॉडल हैचरी के रूप में चलाना होगा। चयनित आवेदक को हैचरी एवं मत्स्यबीज प्रक्षेत्र का संचालन विभाग द्वारा अधिसूचित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप करना अनिर्वाय होगा।
6. वैसे पक्ष जिन्हें मात्स्यिकी में स्नातक की योग्यता होगी, मात्स्यिकी एवं हैचरी चलाने का अनुभव होगा उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा जिनका वित्तीय ऑफर सर्वाधिक होगा उनका चयन किया जाएगा।
7. निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी ऑफरों पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
8. सभी ऑफर ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे।
9. सभी तकनीकी ऑफर दिनांक .... को अपराह्न............ बजे खोले जाएँगे।
10. विस्तृत विवरणी विभागीय वेबसाईट **http://ahd.bih.nic.in/** पर देखी जा सकती है।

प्रपत्र – 2

जिला मत्स्य कार्यालय, ...

पी०पी०पी०मोड पर बंदोबस्ती हेतु आवेदन–पत्र

मुखिया द्वारा अभिप्रमाणित फोटो चिपकाएँ

1. आवेदक का नामः–
2. आवेदक के पिता का नामः–
3. आवेदक का पताः–
   (क) ग्राम : (ख)पंचायत का नाम :
   (ग) प्रखंड का नाम : (घ)डाक घरः
   (ड़) थाना : (च) जिला : (छ) मो० न० :
4. आवेदक का निजी विवरण :–
   (क) जन्म तिथि :
   (ख) शिक्षा :
   (ग) वर्त्तमान पेशा :
   (घ) वार्षिक आय :
5. मत्स्य बीज प्रक्षेत्र का नाम /ग्राम/पंचायत/ प्रखंड का नाम जहाँ प्रक्षेत्र स्थित है :–
   (क) नाम : (ख) प्रखंड :
   (ग) ग्राम : (घ) पंचायत :
6. मत्स्य बीज प्रक्षेत्र का विवरण :–
   (क) खाता नं0 : (ख) खेसरा नं0 :
   (ग) रकवा/ कुल जलक्षेत्र : (घ) मौसमी/बहुवर्षीय :
7. आवेदक के पक्ष में बंदोबस्ती संबंधित दावे,(जो लागू न हो उसे काट दें) :–
   (क) क्या आवेदक मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य हैं– हाँ/ना
   (ख) क्या आवेदक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं ? यदि हाँ तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें– हाँ/ना
   (ग) क्या आवेदक, तालाब वाले पंचायत के मूल निवासी है? यदि हाँ, तो अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण–पत्र (तालाब से निवास स्थान की दूरी सहित) स्पष्ट करें।
   (घ) क्या आवेदक पूर्व में इस मत्स्यबीज प्रक्षेत्र के पट्टेदार थे– हाँ/ना
8. मत्स्यबीज प्रक्षेत्र की दीर्घकालीन बंदोबस्ती के पश्चात् सुधार/विकास हेतु बैंक से कर्ज/स्वलागत से चाहते हैं? हाँ या नहीं?
11. आवेदक किसी अन्य कार्य हेतु बैंक/प्रखंड से जो ऋण लिए हैं, उसका पूरा सत्यापित विवरण समर्पित करें।
12. क्या आवेदक किस्त खिलाफी तो नहीं कर रहें हैं?
13. क्या आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे के की सूची में दर्ज है? यदि हाँ, तो प्रखंड स्तरीय सूची की क्रम संख्या (सप्रमाण) का उल्लेख करें।
14. बंदोबस्ती संबंध में अन्य दावा यदि हो

आवेदक का हस्ताक्षर

जाँच पत्र

मैने उपरोक्त वर्णित तथ्यों/साक्ष्यों की जाँच किया है और मेरी जानकारी के अनुसार सभी सूचनाएँ सही पायी गई है। नीचे दी गई सूचनाओं को त्रुटिपूर्ण अथवा भिन्न पाया गया है, जिसमें विवरणी निम्नवत है:–

1.
2.
3.

क्षेत्रीय पदाधिकारी

जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

प्रपत्र–4

स्पॉन फ्राई बिक्री पंजी हेतु निर्धारित प्रपत्र

विक्रेता का नाम एवं पुरा पत्ता	मोबाईल नं0	बिक्री की तिथि	बिक्री किये स्पॉन की संख्या लाख में	बिक्री किये फ्राई के संख्या हजार/ किलो ग्राम में	मछली की प्रजाति	प्राप्त राशि रूपये मे	विक्रेता का हस्ताक्षर

प्रपत्र–5
हैचरी संचालन हेतु निर्धारित प्रपत्र

[illegible]ट [illegible]या	तिथि	कॉमन कार्प संख्या/ वजन कि. ग्रा. में		रोहू संख्या/ वजन कि.ग्रा. में		नैनी संख्या/ वजन कि. ग्रा. में		कतला संख्या/ वजन कि. ग्रा. में		ग्रास कार्प संख्या/ वजन कि. ग्रा. में		सिलवर कार्प संख्या/ वजन कि. ग्रा. में		मिश्रित प्रजाति संख्या/ वजन कि.ग्रा. में		कुल अंश का उत्पादन मिटर में।	कुल कार्प का उत्पादन लाख में।
ब्रिडिंग सेट 1		नर	मादा	नर	मादा	नर	मादा	नर	मादा	नर	मादा	नर	मादा	नर	मादा		
ब्रिडिंग सेट 1																	
ब्रिडिंग सेट 2																	
ब्रिडिंग सेट 3																	
ब्रिडिंग सेट 4																	
ब्रिडिंग सेट 5																	
ब्रिडिंग सेट 6																	
ब्रिडिंग सेट 7																	
ब्रिडिंग सेट 8																	
ब्रिडिंग सेट 9																	
ब्रिडिंग सेट 10																	
ब्रिडिंग सेट 11																	
ब्रिडिंग सेट 12																	
ब्रिडिंग सेट 13																	
ब्रिडिंग सेट 14																	
ब्रिडिंग सेट 15																	
ब्रिडिंग सेट 16																	
ब्रिडिंग सेट 17																	
योग																	

प्रपत्र–6
प्रजनक प्रतिस्थापन प्रपत्र

प्रजाति	वजन/संख्या		प्राप्ति का श्रोत	प्रजनक की आयु	प्रजनक का स्वास्थ्य	प्रजनक का कई प्रजनक हॉं/नहीं	प्रजनक का वार्षिक प्रतिस्थापन में (30% वार्षिक आवश्यक)		प्रतिस्थापन की तिथि	अभियुक्ति
	वजन (किलो ग्राम में)	संख्या					वजन (किलो ग्राम में)	संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कतला										
रोहू										
नैनी										
ग्रास कार्प										
कॉमन कार्प										
सिलवर कार्प										
मिश्रित प्रजाति										
अन्य प्रजाति										
अन्य प्रजाति										
योग										

प्रपत्र–7

आगंतुको से संबंधित पंजी का प्रपत्र

क्र0सं0	आगंतुक का नाम एवं पुरा पता	मोबाईल नं0	तिथि	आगमन का समय	प्रपत्र– 1 के निरिक्षण से संबंधित टिप्पणी	प्रस्थान का समय	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र–8

मानक संचालन प्रकिया के अनुरूप उपयोग की गई सामग्रीयों का पंजी संधारण

1	2	3	4	5
क्रं0सं0	माह	तारीख	उपयोग की गई सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा

प्रपत्र– 9

जिला मत्स्य पदाधिकारी/उप मत्स्य निदेशक द्वारा मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के जाँच का प्रपत्रः–

1. पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम–

2. मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के भ्रमण की तिथि एवं समय–

3. मत्स्य बीज उत्पादन(स्पॉन एवं) के संबंध में जाँच विवरणी–

4. ब्रुडर्स को प्राकृतिक श्रोत से बदलने से संबंधित संक्षिप्त जाँच विवरणी–

5. उत्पादित मत्स्य बीज को किसानों से की गयी बिक्री से संबंधित जाँच प्रतिवेदन–

6. जिला मत्स्य पदाधिकारी/उप मत्स्य निदेशक द्वारा पूर्व में पट्टेदार को दिये गये निदेश के अनुपालन संबंधित विवरण–

7. अन्यान्य(मंतव्य)

हस्ताक्षर

पदनाम

ज्ञापांक .... दिनांक..

प्रतिलिपिः उप मत्स्य निदेशक(मु०)/उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हस्ताक्षर

पदनाम